

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 1984/ माघ 19, 1905
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 1984/MAGHA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वर्णिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1984

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ 78(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम(282):—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947, (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों
का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977
में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है,
अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1984 की
संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग “क”, अनुसूची-1 में क्रम
सं. 56(2) पर की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रति-
स्थापित किया जाएगा :—

“अपरिष्कृत [बिना कटे हुए और बिना सेट किए हुए] बहुमूल्य
पत्थर और स्फटिक”।

[मि. सं. 41(2)/83-ई. 2]

प्रकाश चन्व जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 78(E)|No. E(C)O, 1977|AM(282).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part ‘A’ Schedule I, the existing entry opening at S. No. 56(ii) shall be substituted by the following :—

“Rough (uncut and unset) precious stones and Quartz”.

[Issued from F. No. 41(2)|83-EII]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports